

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 25 August 2026

ट्रंप ने पेश किया 'गोल्ड कार्ड' और 'प्लैटिनम कार्ड' वीज़ा प्रोग्राम : जानिए क्या है और कौन प्राप्त कर सकता है

Publisher

Published on 20 Sep 2025



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में एक विशेष घोषणा की, जिसमें उन्होंने 'गोल्ड कार्ड' और 'प्लैटिनम कार्ड' वीज़ा प्रोग्राम की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संपन्न विदेशी नागरिकों को अमेरिकी निवास का अवसर प्रदान करना है।

गोल्ड कार्ड वीज़ा : एक मिलियन डॉलर में अमेरिकी निवास

'गोल्ड कार्ड' वीज़ा प्रोग्राम के तहत, व्यक्तिगत आवेदक कम से कम 1 मिलियन डॉलर का योगदान अमेरिकी वाणिज्य विभाग को देंगे। कॉर्पोरेट प्रायोजन के लिए यह राशि 2 मिलियन डॉलर निर्धारित की गई है। इसके बदले में, आवेदकों को अमेरिकी निवास का अधिकार प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम EB-1 और EB-2 वीज़ा श्रेणियों के तहत कार्य करेगा और इसकी वार्षिक सीमा 80,000 वीज़ा निर्धारित की गई है। आवेदकों को एक \$15,000 की जांच शुल्क भी देना होगा। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित की गई है।

प्लैटिनम कार्ड वीज़ा : पांच मिलियन डॉलर में विशेष लाभ

'प्लैटिनम कार्ड' वीज़ा प्रोग्राम के तहत, आवेदकों को 5 मिलियन डॉलर का योगदान करना होगा। इस वीज़ा के तहत, आवेदक प्रति वर्ष 270 दिनों तक अमेरिका में निवास कर सकते हैं, बिना अमेरिकी आयकर के। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जानकारी ब्लूमबर्ग द्वारा प्रकाशित की गई है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

इन वीज़ा कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया ट्रम्पकार्ड.गॉव (trumpcard.gov) वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। आवेदकों को एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा। सभी आवेदकों की

पृष्ठभूमि की जांच अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) द्वारा की जाएगी।

आलोचनाएँ और संभावित कानूनी चुनौतियाँ

इन वीज़ा कार्यक्रमों की घोषणा के बाद, कई विशेषज्ञों और विधायकों ने इसे आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम अमेरिकी नागरिकों के लिए अवसरों को सीमित कर सकता है और अमीर व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक हो सकती है।

ट्रंप द्वारा प्रस्तुत 'गोल्ड कार्ड' और 'प्लैटिनम कार्ड' वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी आप्रवासन नीति में एक नया मोड़ प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम संपन्न विदेशी नागरिकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इसके संभावित प्रभावों और कानूनी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.